वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परन्तुक के खण्ड (3), धारा 3ख और धारा 3ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, मैट्रो रेल के निम्नलिखित संचालन और रखरखाव में उपभुक्त ऊर्जा पर जयपुर मैट्रो रेल निगम द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, जल संरक्षण उपकर और नगरीय उपकर से इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से छूट देती है, अर्थात्:-

1.	मैट्रो रेल संचालन
2.	विद्युत उप केन्द्र(केन्द्रों)
3.	रखरखाव डिपो
4.	मैट्रो स्टेशन जिसमें सम्मिलित हैं :-
	(क) स्टेशन लाईटिंग, एयर कंडीशनिंग, एयर कूलिंग और सर्कुलेशन उपस्कर;
	(ख) स्टेशन नियंत्रण कक्ष, बुकिंग कार्यालय, किराया संग्रहण मशीनें;
	(ग) सुरक्षा उपस्कर और कक्ष, जन सुविधा कक्ष, जल प्रदाय उपस्कर;
	(घ) इलैक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम रखरखाव कक्ष;
	(ङ) लिफ्टें, एस्कलेटर्स, अग्निशामक उपस्कर;
	(च) पार्किंग और सर्कुलेटिंग क्षेत्र में लाईटिंग; और
	(छ) मैट्रो प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त और अनुमोदित अन्य क्रियाकलाप केन्द्र, जहाँ विद्युत लागत ज.मै.रे.नि. द्वारा वहन की जाती है।

किन्तु यह छूट निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुये अन्य क्रियाकलापों में उपभुक्त ऊर्जा पर लागू नहीं होगी:-

1.	मैट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए सन्निर्माण और अन्य संकर्म
2.	ज.मै.रे.नि. के स्वमित्वाधीन / पट्टाकृत आवासीय भवन
3.	आउटसोर्स्ड वाणिज्यिक क्रियाकलाप, जहां विद्युत लागत ज.मै.रे.नि. द्वारा प्रभारित की जाती है, उदाहरणार्थ :-
	(क) विज्ञापन;
	(ख) खुदरा दुकानें;
	(ग) एटीएम, मोबाइल टावर्स, वाई-फाई सुविधा; और
	(घ) कोई अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप।
4.	कारपोरेट और अन्य कार्यालय, जो प्रत्यक्ष संचालन और रखरखाव के भाग नहीं है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-100]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (3) of the proviso to section 3, section 3B and section 3C of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, the electricity duty, the water conservation cess and the urban cess payable by the Jaipur Metro Rail Corporation on the energy consumed in following operation and maintenance of Metro Rail, namely:-

1.	Metro Rail Operations
2.	Electric Sub-Station(s)
3.	Maintenance Depot(s)
4.	Metro Stations which includes :- (a) Station lighting, Air Conditioning, Air Cooling and Circulation equipment; (b) Station Control Room, Booking Office, Fare Collection Machines; (c) Security equipment and rooms, public utility rooms, water supply equipment; (d) Electrical, Signal and Telecom maintenance rooms; (e) Lifts, Escalators, Fire Fighting equipments; (f) Lighting in parking and circulating area; and (g) Other activity centres exclusively used and approved for Operation and Maintenance of Metro System, where electricity cost is borne by Jaipur Metro Rail Corporation

But this exemption shall not be applicable on the energy consumed in other activities including the following:-

1.	Construction and other works for expansion of metro network
2.	Residential buildings owned/ leased by Jaipur Metro Rail Corporation
3.	Outsourced commercial activities, where electricity cost is charged by Jaipur Metro Rail Corporation, i.e., (a) Advertisements; (b) Retail Shops; (c) ATMs, mobile towers, wi-fi facility; and (d) Any other commercial activities.
4.	Corporate and other offices, which are not part of direct Operation and Maintenance

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-100]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government